- **श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना:** अधिक रोजगार सृजन और औद्योगीकरण से देश में श्रम अधिशेष के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रोत्साहन का मार्ग:** उद्योगों को अधिक निवेश के लिए सरकारों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना चाहिए।

स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- **डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) मामला:**उच्चतम न्यायालय ने **डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले में "धरती पुत्रों" (स्थानीय लोगों) के लिए कानून के मुद्दे** पर विचार किया था। न्यायालय का मत था कि ऐसी नीतियां असंवैधानिक होंगी। हालांकि, न्यायालय ने इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया था, क्योंकि यह मामला समानता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित था।
- **सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1995) मामला:** उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की नीति को रद्द करने के लिए प्रदीप जैन मामले की टिप्पणी की पुष्टि की थी। इस नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में तेलुगु का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त वेटेज दिया गया था।
- **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) और एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) मामला:** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, इस सीमा से अधिक आरक्षण के लिए असाधारण कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
- **कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (2002) मामला:** इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को **अमान्य** घोषित कर दिया था। इसमें राज्य चयन बोर्ड ने **"संबंधित जिले के या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आवेदकों"** को वरीयता दी थी।

1.7.2. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने की मांग ने एक गंभीर वाद-विवाद की शुरुआत कर दी है।

जातिगत जनगणना क्या है?

- जातिगत जनगणना में **जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण** किया जाता है।
- **वर्ष 1931 की जनगणना,** जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के साथ भारत की अंतिम प्रकाशित जातिगत जनगणना है। वर्ष 1941 में इस प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था तथा वर्ष 1947 के उपरांत, भारत सरकार ने इसे फिर से शुरू नहीं किया था।
- स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना (1951) के बाद से ही भारत सरकार जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) पर पृथक आंकड़ें प्रकाशित करती रही है, यद्यपि जनगणना में अन्य जातियों के आंकड़ें शामिल नहीं किए जाते हैं।

ब्यौरा	जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क	जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क
जाति पर आंकड़ों की उपलब्धता	**जाति के अनुमान पहले से ही उपलब्ध हैं:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) द्वारा किए गए विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में जनसंख्या में SCs, STs और OBCs से जुड़े आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है।	**सर्वेक्षण जनगणना नहीं होते हैं:** NFHS और NSSO द्वारा एकत्र किए गए जातिगत आंकड़े **जनगणना के विपरीत सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं।** जनगणना वास्तव में देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना है। इसके अंतर्गत लोगों की पहचान की जाती है। प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक स्तर पर गणना की जाती है। इसमें उनके शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, पारिवारिक संपत्ति और जीवन प्रत्याशा पर भी आंकड़ें एकत्र किये जाते हैं।
परिचालन से संबंधित चुनौतियां	एक पूर्ण जातिगत जनगणना, जिसमें सभी "सवर्णों" का जाति-वार विभाजन शामिल हो, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि देश में सभी जातियों की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जनगणना के बाद वर्गीकरण का व्यापक कार्य करना होगा, जिससे सामान्य	यह एक **सामान्य प्रथा** है कि **कुछ जनगणना संबंधी तालिकाएँ जनगणना संपन्न होने के पांच या सात वर्ष उपरांत जारी की जाती हैं।**